भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2472

जिसका उत्तर दिनांक 16.03.2022 को दिया जाना है

परमाणु संयंत्रों पर सुरक्षा

2472. श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा उन्नयन सहित परमाणु और विकिरण सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को अतिरिक्तता तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए अभिकल्प किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशिष्टताएं उपलब्ध कराई जाती हैं । यह सुनिश्चित करता है कि रेडियोसक्रियता के स्रोत और पर्यावरण के बीच कई रोधिकाएँ होती हैं । प्रचालन उच्च योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है । नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में काम करने वाले सभी कर्मियों को उपयुक्त व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण और निगरानी साधन प्रदान किए जाते हैं ।

नियामक प्राधिकरण परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के भीतर एक बहु-स्तरीय सुरक्षा तंत्र मौजूद है । सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को एईआरबी की आवश्यकताओं के अनुसार हर दस साल में एक व्यापक आवधिक सुरक्षा समीक्षा (पीएसआर) से गुजरना पड़ता है । पीएसआर के दौरान, संयंत्र की सुरक्षा का आकलन उम्र बढ़ने के संचयी प्रभावों, संयंत्र में संशोधनों, प्रचालन अनुभव पर विचार करने के साथ-साथ वर्तमान सुरक्षा मानकों / अभ्यासों के साथ तुलना करके किया जाता है और आवश्यक उन्नयन की पहचान की जाती है । इन समीक्षाओं और प्रचालन अनुभाविक प्रतिपुष्टि के आधार पर, आवश्यक उन्नयन किए जाते हैं और नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को सुरक्षा के मामले में अत्याधुनिक

बनाए रखा जाता है । पीएसआर प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी एनपीपी वर्तमान संरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें और जनता और पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा न करें ।

नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं । देश में प्रचालित सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सुरक्षा कवच में हैं और सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली और अभिगम नियंत्रण क्रियाविधि सहित एकीकृत सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं । इन प्रणालियों की समय-समय पर जांच और समीक्षा की जाती है और केंद्रीय तथा राज्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त समीक्षाओं और विभिन्न इनपुट के आधार पर आवश्यक उन्नयन किया जाता है ।

* * * * *